वित्तीय स्वीकृति

संख्या-02/2019/28/55-पर्या-2-19-68(पर्या0)/2018

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 05 जनवरी, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्या-942/ल0वि0वि0/रामगढ़ ताल, रासी एवं आमी नदी/2018, दिनांक 10 जनवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रो0 ध्रुव सेन सिंह, भू-विज्ञान विभाग/ तेल एवं प्राकृतिक गैस, सेन्टर ऑफ एडवांस स्टडीज, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा जनपद गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल, रासी एवं आमी नदी की जल गुणवत्ता पर शोध अध्ययन रिपोर्ट तैयार किये जाने संबंधी योजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन हेतु श्री राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रश्नगत मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों/मैनुअल आदि का अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यकता हो, वहां शासन अथवा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा।

3- उपर्युक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग के लेखाशीर्षक-''3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-03-पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरूद्भवन-003-पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार-04 पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-02/2019/28/55-पर्या-2-19-68(पर्या0)/2018, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2।
4- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in